उत्तराखण्ड शासन
सुराज,भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग
संख्याः– /XLIII(I)/16–20(04)/2016
देहरादूनःदिनांक 28 जून, 2016।

अधिसूचना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20, वर्ष 2011) की धारा–03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जन सामान्य को नियत समय–सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या 1337/XXXI(13)G/2011 दिनांक 28.10.2011, 368/XLIII(I)/16–20(04)/2016 दिनांक 28.04.2016, 598/XLIII(I)/16–20(04)/2016 दिनांक 31.05.2016 एवं 758/XLIII(I)/16–20(04)/2016 दिनांक 14.06.2016 में अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त निम्नांकित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय–सीमा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम निम्नवत् अधिसूचित करती है, अर्थात्:–

ऊर्जा विभाग

क्र0सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	आवदेन के अनुसार राशि जमा करने के बाद मौजूदा नेटवर्क से नये कनैक्शन प्रदान करने के लिए।	उपखण्ड अधिकारी	15 दिन (जहां वितरण नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता न हो)	अधिशासी अभियंता (वितरण)	अधिक्षण अभियंता (वितरण)
2	10 कि0वा0 तक अस्थायी कनैक्शन के लिए जहां आवश्यक धनराशि जमा किया गया है एवं मौजूदा नेटवर्क में कोई विस्तार की आवश्यकता न हो।	उपखण्ड अधिकारी	15 दिन	अधिशासी अभियंता (वितरण)	अधिक्षण अभियंता (वितरण)
3	अनुपूरक समझौते के बाद आवेदन अनुसार लोड बढ़ाने हेतु आवश्यक धनराशि के जमा होने पर	उपखण्ड अधिकारी	30 कार्यदिवस	अधिशासी अभियंता (वितरण)	अधिक्षण अभियंता (वितरण)
4	उपभोक्ता द्वारा मीटर के रूकने एवं तेजी से चलने की शिकायतों पर जांच	उपखण्ड अधिकारी	45 कार्यदिवस (30 दिन जांच हेतु एवं 15 दिन बदलने हेतु)	अधिशासी अभियंता (वितरण)	अधिक्षण अभियंता (वितरण)
5	जले मीटरों को बदलना	सहायक अभियंता (मीटर)/उपखण्ड अधिकारी	03 कार्यदिवस	अधिशासी अभियंता (वितरण)	अधिक्षण अभियंता (वितरण)
6	वोल्टेज में उतार–चढ़ाव				
6.1	स्थानीय समस्या	उपखण्ड अधिकारी	04 घंटे के भीतर	अधिशासी अभियंता (वितरण)	अधिक्षण अभियंता (वितरण)
6.2	परिवर्तक की टैपिंग	उपखण्ड अधिकारी	03 दिन के भीतर	अधिशासी अभियंता (वितरण)	अधिक्षण अभियंता (वितरण)
6.3	वितरण परिवर्तक/लाईन/कैपेसिटर की मरम्मत	उपखण्ड अधिकारी	30 दिन के भीतर	अधिशासी अभियंता (वितरण)	अधिक्षण अभियंता (वितरण)
6.4	एच0टी0/एल0टी0 प्रणाली की स्थापना एवं उच्चीकरण	उपखण्ड अधिकारी	90 दिन के भीतर	अधिशासी अभियंता (वितरण)	अधिक्षण अभियंता (वितरण)
6.5	वोल्टेज के उतार–चढ़ाव के कारण उपभोक्ता उपकरणों की क्षति	उपखण्ड अधिकारी	तत्काल	अधिशासी अभियंता (वितरण)	अधिक्षण अभियंता (वितरण)

2. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिन की गणना कार्य दिवस के रूप मे जायेगी।
3. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन–पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।
4. उक्त सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेंगी।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
प्रभारी सचिव।

संख्याः– 868/XLIII(I)/16–20(04)/2016 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाँयू मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय प्रेषित से कि इसकी 200 प्रतियां मुद्रित कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को उत्तराखण्ड राज्य की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सम्बन्धित निर्देशित करने का कष्ट करें।
10. मीडिया सेन्टर।
11. गार्ड फाईल।

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
प्रभारी सचिव।